पंचायत निगरानी संख्या : 482 / 2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 482 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 622

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुत निवासी दूदनी तहसील बाली जिला पाली राज. 2. सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 12 / 2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थितिः– प्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–:निर्णयः–

दिनांकः 20.08.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत **ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 12 / 2016–17 में जरिये प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 को निरस्त** करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रार्थी की ओर से पंचायत निगरानी विरुद्ध अप्रार्थीगण निम्नांकित अनियमितताओं के कारण प्रस्तुत की गईः–

1. यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या 03 दिनांक **10.01.2019** को जारी किया गया है।
2. **नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुत निवासी दूदनी** के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 03 जरिये मिसल संख्या **12 / 2016–17** द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शुल्क 200.00 /– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली में दायर दिनांक 20.04.2017 अंकित है जिसमें नारायणसिंह के पट्टा आवेदन शुल्क 120 /– रुपये जरिये रसीद संख्या 94 दिनांक 02.06.2016 द्वारा जमा कर पत्रावली दर्ज की हुई है। लेकिन पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंग्न नहीं है। भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.05.2017 को आज्ञाओं की सूची में लिखा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ में लगा हुआ नही है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट में मौके की स्थिति का सही उल्लेख किया हुआ नही है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 05.05.2017 को प्रारुप 22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षों के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत् सरपंच के निर्णय पत्र के अलावा अन्य गवाहो के बयान लिये हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर मौके पर आधे भू–भाग में निर्मित कार्य है। आबादी भूमि की लगती सीमा में होने से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पट्टा जारी किया गया है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकिन आखरिया की भूमि है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा गलत जारी किया गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 की वैद्धता, शुद्धता एवं मौलिकता के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एव 02 बावजुद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या एक एवं दो के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। ग्राम पंचायत दूदनी से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया। बहस के दौरान अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थीपक्ष की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने वक्त बहस निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि परिवादी श्री करणसिंह पुत्र श्री फूलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मौरीगांव ग्राम दूदनी द्वारा श्रीमान् महानिदेशक भष्ट्राचार निरोधक ब्यरो जयपुर में ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा नियम विरुद्ध गोचर ओरण भूमि में पट्टा जारी करने का परिवाद पेश किया था। जिसके सम्बन्ध में कार्यालय पंचायत समिति के तीन सहायक विकास अधिकारियों की कमेटी का गठन कर जांच करवायी गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या एक को सरपंच ग्राम पंचायत दूदनी के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत पट्टा संख्या **03** दिनांक **10.01.2019** को जारी किया गया। **नारायणसिंह पुत्र सुजानसिंह जाति राजपुत निवासी दूदनी** के नाम से ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा पट्टा क्रमांक 03 जरिये मिसल संख्या **12/2016–17** द्वारा जारी किया गया है जिसका ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 (1)(ख) के तहत पट्टा शूल्क 200.00/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली में दायर दिनांक 20.04.2017 अंकित है जिसमें नारायणसिंह के पट्टा आवेदन शुल्क 120/– रुपये जरिये रसीद संख्या 94 दिनांक 02.06.2016 द्वारा जमा कर पत्रावली दर्ज की हुई है। लेकिन पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंग्न नहीं है। भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पत्रावली में दिनांक 05.05.2017 को आज्ञाओं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 482/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

की सूची में लिखा हुआ है लेकिन पत्रावली के साथ में लगा हुआ नही है। वार्ड पंचों की मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट में मौके की स्थिति का सही उल्लेख किया हुआ नही है। नियम 148 में आपत्ति मांगने के सूचना पत्र दिनांक 05.05.2017 को प्रारुप 22 में जारी किया गया है लेकिन सहज दृश्य स्थल पर चस्पा कर दो मौजुद व्यक्तियों के हस्ताक्षर किये हुए नहीं है। मौके पर मकान 50 वर्षो के दौरान होने सम्बन्धित साक्ष्य बाबत् सरपंच के निर्णय पत्र के अलावा अन्य गवाहो के बयान लिये हुए नहीं है। जांच कमेटी द्वारा मौका स्थिति देखने पर मौके पर आधे भू–भाग में निर्मित कार्य है। आबादी भूमि की लगती सीमा में होने से ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि की बिना जानकारी प्राप्त किये ही पट्टा जारी किया गया है। भूमि किस्म की राजस्व विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार पट्टे की भूमि गैर मुमकिन आखरिया की भूमि है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा गलत जारी किया गया है।

प्रार्थी पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन एवं विश्लेषण उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उभरकर सामने आते हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुसार प्रश्नगत पट्टा विलेख से सम्बन्धित भूमि गैर मुमकीन आखरिया भूमि है। निगरानी याचिका के सलंग्न जांच रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की गई है तथा अप्रार्थीपक्ष भी इसके खण्डन हेतु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा की जा सके। अतः प्रार्थीपक्ष का यह तर्क प्रमाणित पाया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर आबादी राजकीय भूमि में अधिकारिता से परे जाकर जैर आलोच्य पट्टे की कार्यवाही सम्पादित की है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 140 में यथापरिभाषित 'आबादी भूमि' में ही ग्राम पंचायत कार्यवाही हेतु अधिकृत है।
2. जैर आलौच्य पट्टा क्रमांक 03 जरिये मिसल संख्या 12/2016–17 द्वारा प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 10.01.2019 में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत पट्टा शुल्क 200/– रुपये लेकर पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी किया गया, किन्तु सम्पूर्ण मिसल में सरपंच के निर्णय पत्र के अतिरिक्त किसी भी गवाह के बयान अथवा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो अप्रार्थीगण के पचास वर्ष से अधिक के रहवासी कब्जे की पुष्टि कर सके। **यहाँ तक कि मूल मिसल में भी अप्रार्थीगण के पुराने कब्जें एवं अवधि के सम्बन्ध में कोई कथन अंकित नहीं है।** उपरोक्त के अभाव में यह समझ से परे है कि ग्राम पंचायत द्वारा किस आधार पर अप्रार्थीगण का पचास वर्ष से अधिक अवधि का रहवासी कब्जा प्रमाणित मानते हुए नियम 157 (1) के अन्तर्गत आलोच्य पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप अनुसार पत्रावली में आवेदक का पट्टा बनाने का आवेदन पत्र सलंग्न नहीं है। निगरानी याचिका के सलंग्न जांच रिपोर्ट में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि सम्पूर्ण मिसल में अप्रार्थीगण का कोई आवेदन या प्रार्थना पत्र बाबत पट्टा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 482/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सलंग्न उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीपक्ष भी ऐसे किसी पट्टा आवेदन की प्रति तथा शुल्क रसीद की प्रति प्रस्तुत करने में असफल रहे है। **इस प्रकार स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा जारी करने हेतु अप्रार्थी द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया और ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पालना किए बिना ही मिसल कायम कर आदेशिका दिनांक 20.04.2017 में काल्पनिक कथनों का अंकन किया गया।**

4. मिसल में आदेशिका दिनांक 05.05.2017 में भूमि किस्म का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अंकन किया हुआ है किन्तु सम्पूर्ण मिसल में भूमि किस्म का प्रमाण पत्र सलंग्न नहीं है।
5. मिसल में आदेशिका दिनांक 05.05.2017 में सरपंच द्वारा यह निर्देश दिए गए है कि मौके का निरीक्षण नियम 146(2) के तहत गठित कमेटी द्वारा किया जाकर स्थल का नजरी नक्शा कमेटी के सदस्यो की उपस्थिति में बनाया गया किन्तु सम्पूर्ण मिसल में मौका निरीक्षण हेतु आज्ञापक तीन पंचों का मनोनयन आदेश संलग्न नहीं है। अर्थात् पंचायत द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड के स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचों को नामित किया गया, इस सम्बन्ध में न तो मूल मिसल में कोई दस्तावेज उपलब्ध है और न ही ऐसा कोई आदेश अप्रार्थीपक्ष प्रस्तुत कर पाया है। इस स्थिति में मूल मिसल में सलंग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट वैधानिक रुप से प्रमाणित नहीं मानी जा सकती। **इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा आलोच्य पट्टे के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 की पूर्वापेक्षा में अपेक्षित कार्यवाही प्रभाव में नहीं लायी गई।**
6. मिसल में सलंग्न आपत्ति इश्तिहार की पुष्ठ पर ऐसा कोई विवरण अंकित नही है कि उक्त आपत्ति सूचना पत्र किस स्थान पर एवं किन दो व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किया गया। उक्त के अभाव में यह कार्यवाही राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 के प्रावधानानुरुप सम्यक् कार्यवाही नहीं मानी जा सकती।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाते है।

अतः हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 बहक प्रार्थी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दूदनी द्वारा मिसल संख्या 12/2016–17 के सम्बन्ध में पारित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 22.05.2017 एवं उक्त संकल्प के अनुक्रम में निष्पादित आलोच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 को अपास्त किया जाता है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूदनी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किये गए आलोच्य पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.01.2019 की मूल कार्यालय प्रति पर लाल स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही,विकास अधिकारी, प.स. बाली को यह निर्देश दिए जाते है कि आलोच्य मिसल में कार्यवाही हेतु उत्तरदायी लोकसेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 482 / 2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम नारायणसिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड किसी अन्य प्रकरण में आवश्यक नहीं होने पर पुनः लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली